**दिनांक 03.08.2023 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में मेसर्स सी0सी0एल0 के आम्रपाली परियोजना पर भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छाओं के संबंध में आहूत बैठक की कार्यवाही।**

**बैठक में उपस्थिति संलग्न सूची के अनुसार :–**

1. श्री संजय श्रीवास्तव, भा0व0से0, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची
2. श्री सतीश चन्द्र राय, भा0व0से0, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग
3. श्री सबा आलम अंसारी, भा0व0से0, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी, वन प्रमंडल
4. श्री वेद प्रकाश कम्बोज, भा0व0से0, उप निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची
5. श्री बी0 साईराम, निदेशक (तकनिकी) मेसर्स सी0सी0एल0
6. श्री सी0 एस0 जिवानी, महाप्रबंधक (वन) मेसर्स सी0सी0एल0
7. श्री ए0 के0 सिंह, महाप्रबंधक आम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त परियोजना मेसर्स सी0सी0एल0
8. श्री पी0 के0 सिन्हा, महाप्रबंधक (माईनिंग) आम्रपाली परियोजना मेसर्स सी0सी0एल0
9. श्री ओम प्रकाश, उप प्रबंधक, मेसर्स सी0सी0एल0
10. रबिया नवाज, उप प्रबंधक, मेसर्स सी0सी0एल0

सर्वप्रथम प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा विभाग के अधिकारियों तथा मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक आरम्भ की गई।

बैठक में विषयक प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8–48/2008–FC-(Vol) दिनांक 17.04.2023 द्वारा 14 बिन्दुओं पर की गई पृच्छाओं के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के क्रम में मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधियों तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को पृच्छाओं के निराकरण के संबंध में बिन्दुवार निम्नांकित दिशा–निर्देश दिये गये :–

1. पृच्छा सं0–1 के संबंध में मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधि को होन्हे–सराडु सड़क निर्माण 13.70 हे0 एवं होन्हे–शिवपुर प्रस्ताव के संबंध में अद्यतन स्थिति को प्रतिवेदित किये जाने हेतु कहा गया।

   वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को FC Act के Violation में NBCC Company की भूमिका को पृच्छा के निराकरण में स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।

2. पृच्छा सं0–2 के संबंध में समर्पित निराकरण प्रतिवेदन में 1.05 हे0 का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधि को पृच्छा के निराकरण में 1.05 हे0 के संबंध में पूर्ण जानकारी देने हेतु कहा गया।

3. पृच्छा सं0–3 के संबंध में समर्पित निराकरण प्रतिवेदन में मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधि को पृच्छा में वर्णित चारों प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जानकारी देने हेतु कहा गया।

03/08

क्र०पृ०उ०

4. पृच्छा सं0—5 के संबंध में मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि पूर्व में समर्पित आम्रपाली परियोजना 531.64 हे0 अपयोजित वनभूमि प्रस्ताव में Safety Zone क्षेत्र का रकबा 4.5 हे0 था। वर्तमान आम्रपाली परियोजना प्रस्ताव 431.59 हे0 में पूर्व प्रतिवेदित Safety Zone क्षेत्र 4.5 हे0 को माईनिंग क्षेत्र में समावेशित करते हुए माईनिंग किया जायेगा तथा आम्रपाली परियोजना के समपूर्ण माईनिंग लिज क्षेत्र हेतु 7.5 हे0 Safety Zone रखा जायेगा। इस आशय को पृच्छा के निराकरण में स्पष्ट रूप से अंकित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को Safety Zone के उपरोक्त वर्णित स्थिति को अपने Comments में स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. पृच्छा सं0—6 के संबंध में समर्पित निराकरण प्रतिवेदन अपूर्ण है। मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधि को पृच्छा के निराकरण में उन सभी प्रस्तावों का प्रस्तावार (अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के रकबा सहित) उल्लेख करने हेतु कहा गया जिनमें Safety Zone क्षेत्र के NPV की राशि का भुगतान किया गया हो।

6. पृच्छा सं0—10 के संबंध में समर्पित निराकरण प्रतिवेदन में सी0सी0एल0 के प्रतिनिधि को कहा गया कि ऐसे सभी शर्त जिनमें पूर्व के अनुपालन में "Condition is being complied" अंकित है, के अद्यतन स्थिति को शर्तवार निराकरण प्रतिवेदन में अंकित किया जाय।

7. पृच्छा सं0— 12 के संबंध में समर्पित निराकरण प्रतिवेदन में मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधियों को metalled road के निर्माण के संबंध में पूर्ण जानकारी देने हेतु कहा गया।

8. पृच्छा सं0— 14 के संबंध में समर्पित निराकरण प्रतिवेदन में मेसर्स सी0सी0एल0 के प्रतिनिधियों को Green belt zone तथा Safety Zone के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी देने हेतु कहा गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह0/—
प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

**ज्ञापांक** 816 **दिनांक** 03.8.2023

**प्रतिलिपि** :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाऊस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

03/08/2023

E:\COash\ashishji\Meetings\PCCF MEETING\CCL Amrapali 03.08.2023.doc